# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2021 (2021/132)

देवराज पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी चेच्या का खेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर —प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू अभिलेख)केकड़ी जिला अजमेर —अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,**

उपस्थित:— श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़— वकील प्रार्थी
तहसीलदार केकड़ी— पैरोकार सरकार

**आदेश**

दिनांक 7·6·2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बघेरा की जमाबंदी संवत् 2073—76 के खाता संख्या नया—पुराना 1248—1262 के आराजी खसरा नंबर 737/5196 रकबा 1.67 है0 नहरी 2 इस आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त स्वामित्व है किन्तु राजस्व ट्रेस नक्शे से मौके का मिलान करने पर पता चला कि भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस मे 0.5978 हैक्टर कम है। प्रार्थी ने आस पास की समस्त भूमियों के नक्शा ट्रेस की मौके से जानकारी की तो पता चला कि प्रार्थी की उक्त भूमि सटाकर स्थित भूमि खसरा संख्या 658/5308 की तरफ से 0.1434 हैक्टर भूमि कम है तथा भूमि खसरा संख्या 736 की तरफ 0.4544 हैक्टर भूमि कम है। इस प्रकार प्रार्थी के राजस्व नक्शे मे 0.5978 हैक्टर भूमि कम है जो उक्त पड़ौसी भूमि के नक्शा ट्रेस मे बढने के उपरांत राजस्व नक्शे मे जमाबंदी के व मौके के मुताबिक भूमि पूर्ण होती है। उक्त भूमि खसरा संख्या 658/5308 व खसरा संख्या 736 राजकीय भूमि है। प्रार्थी की भूमि वर्तमान नक्शा ट्रेस मे रकबा कम होने से दुरूस्त किया जाकर भूमि खसरा संख्या 658/5308 व खसरा संख्या 736 की तरफ बढाया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी का नक्शा दुरूस्त किये जाने पर राज्यहित पर तथा किसी अन्य व्यक्ति के हित पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी की उक्त भूमि का नक्शा छोटा होने से अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,इस कारण नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर भूमि खसरा नंबर 658/5308 की तरफ 0.1434 हैक्टर भूमि व खसरा संख्या 736 की तरफ 0.4544 हैक्टर भूमि कुल 0.5978 हैक्टर भूमि सम्मिलित की जाकर नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हल्का पटवारी/हल्का गिरदावर की रिपोर्ट तलब फरमाकर उक्त खसरा संख्या 737/5196 कुल रकबा 1.67 हैक्टयर के नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती की जाकर उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस मे कम पड़ रहे रकबे को सटाकर स्थित भूमि खसरा संख्या 658/5308 व 736 की तरफ 0.5978 हैक्टर रकबा दुरूस्त करने की कृपा करे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार केकड़ी—पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार की और से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब के मुताबिक ग्राम बघेरा का खसरा नंबर 737/5196 रकबा 1.67 हैक्ट0 किस्म नहरी 2 देवराज पुत्र जगदीश कौम गूजर हि05/6 सा0चेच्या का खेड़ा ,नरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह कौम [illegible] हिस्सा 1/6 साकिन देह के नाम दर्ज है। भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा द्वारा कार्यालय मे [illegible] के अनुसार वादवर्णित खसरा नंबर 737/5196 का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे रकबा 1.67 हैक्[illegible] एवं राजस्व मानचित्र मे बनी आकृति की रकबा बरारी करने पर रकबा 1.[illegible] राजस्व रेका[illegible]काबले राजस्व मानचित्र मे रकबा 0.59 हैक्[illegible] गत राजस्व मानचित्र [illegible] राजस्व मानचित्र का मिलान करने पर वादवर्णित खसरा नंबर 737/5196 की आकृति भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नंबर 737 ,744/5462,738,638/5439 की और बढ़ती है। खसरा नंबर 658/5308 एवं 736 की तरफ नहीं बढ़ती है। अतः बिन्दु संख्या 03 मे उल्लेखित प्रार्थी का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। संलग्न रिपोर्ट के मुताबिक भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा अनुसार खसरा नंबर 737,744

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

25462 ,738,638/5439 का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रकबा एवं राजस्व मानचित्र मे संबंधित खसरा नंबर की आकृति की रकबा वरारी करने से प्राप्त करना की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है।

| ख.नं. | स्वामित्व का विवरण | जमाबंदी मे दर्ज रकबा (हैक्ट.मे ) | राजस्व मानचित्र मे वनी आकृति का रकबा वरारी करने पर प्राप्त रकबा (हैक्ट मे) | राजस्व रेकार्ड के मुकाबले राजस्व मानचित्र मे रकबा (हैक्ट.मे) कमी | वेशी |
|---|---|---|---|---|---|
| 737 | चारागाह | 0.37 | 0.47 | -- | 0.10 |
| 744/5462 | खातेदारी | 0.14 | 0.17 | -- | 0.03 |
| 738 | जमाबंदी नकल | 0.02 | 0.24 | -- | 0.22 |
| 638/5439 | संलग्न | 0.31 | 0.34 | -- | 0.03 |
| योग | | | | | 0.38 |

इस प्रकार प्रकरण मे उपरोक्त 0.38 हैक्ट.भूमि को ही प्रार्थी के वाद वर्णित खसरे की आकृति मे शामिल किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त खसरो के खातेदारान को प्रकरण मे पक्षकार नहीं बनाया गया है। जवाब प्राप्त होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी लायक वकील ने अपनी वहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया वादी प्रार्थी के वकील का कथन है कि ग्राम बघेरा का खसरा नंबर 737/5196 रकबा 1.67 है0 न.2 का नक्शा ट्रेस मे रकबा 0. 5978 कम है। अतः इस खसरा के समीप स्थित खसरा नंबर 658/5308 व 736 की तरफ 0.5978 हैक्टर रकबा दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावे। तहसीलदार केकड़ी –पैरोकार सरकार ने अपनी वहस मे बताया कि ग्राम बघेरा के विभिन्न खसरा नंबर यथा 737,744/5462,738,638/5439 मे से रकबा कमशः 0.10,0.03,0.22,0.03 कुल किता 04 की रकबा 0.38 प्रार्थी के खसरे मे शामिल की जा सकती है जो जवाव प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित है। तहसीलदार केकड़ी–पैरोकार सरकार का कथन है कि प्रश्नगत प्रकरण मे भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा द्वारा गत राजस्व मानचित्र के मुकाबले हाल राजस्व मानचित्र के मुकाबले हाल राजस्व मानचित्र के मुकाबले हाल राजस्व मानचित्र मे की जाने वाली दुरूस्ती लाल स्याही से अंकित करते हुए प्रस्तावित की है जो संलग्न है। प्रस्तावित दुरूस्ती से उल्लेखित खसरो का राजस्व मानचित्र राजस्व रेकार्ड के मुकाबले सही है।

मैने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की वहस पर गौर किया। तहसीलदार केकड़ी –पैरोकार सरकार के जवाब जिसके साथ भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा की जांच रिपोर्ट संलग्न है तथा व बहस पैरोकार सरकार के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना मे प्रस्तुत विवरणानुसार खसरा नंबरान मे से 03800 हैक्टर भूमि का नक्शा ट्रेस मे खसरा नंबर 737/5196 रकबा 1.67 है0 नहरी 2 मे बढाया जाने तक स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा बताया गया था कि राजस्व ट्रेस नक्शें से मौके का मिलान करने पर 0.5978 हैक्टयर कम है,किन्तु मौके पर प्रार्थी का क्लेम 0.5978 के स्थान पर 0.3800 है0 तक ही सिद्ध होता है। अतः प्रार्थी का क्लेम 0.3800 है0 तक ही स्वीकार किया जाकर शेष क्लेम खाजिर किया जाता है। प्रार्थी के खसरा नंबर 737/5196 रकबा 1.67 है0 मे नक्शा ट्रेस मे सम्मिलिलित किये जाने वाले ख.नं. व रकबा जो इन खसरा नंबरान मे बेशी है का जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

| ख.नं. | स्वामित्व का विवरण | जमाबंदी मे दर्ज रकबा (हैक्ट.मे ) | राजस्व मानचित्र मे बनी आकृति का रकबा वरारी करने पर प्राप्त रकबा (हैक्ट मे) | राजस्व रेकार्ड के मुकाबले राजस्व मानचित्र मे रकबा (हैक्ट.मे) कमी | बेशी |
|---|---|---|---|---|---|
| 737 | चारागाह | 0.37 | 0.47 | -- | 0.10 |
| 744/5462 | खातेदारी | 0.14 | 0.17 | -- | 0.03 |
| 738 | जमाबंदी नकल | 0.02 | 0.24 | -- | 0.22 |
| 638/5439 | संलग्न | 0.31 | 0.34 | -- | 0.03 |
| योग | | | | | 0.38 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 38/21(2021/132)
देवराज गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार
अंतर्गत धारा 131,136 एल0आर0एक्ट
निर्णय दिनांक

तहसीलदार केकड़ी,राजस्व नक्शे मे इन खसरा नंबर यथा 737,744/5462,738,638/5439 रकबा क्रमश 0.10,0.03,0.22,0.03 कुल खसरा नंबर 4 कुल रकबा 0.3800 है इन खसरा नंबरान के नक्शा ट्रेस से कम कर प्रार्थी के खातेदार की आराजी खसरा नंबर प्रार्थी के खसरा नंबर 737/5196 रकबा 1.67 है0 के मौजूदा नक्शा ट्रेस मे बढ़ाये जाने की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
केकड़ी (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:48:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner